

भारत में बाल विवाह

यह लेख एक **आधार** है। जानकारी जोड़कर इसे **बढ़ाने** में (https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82_%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9&action=edit) विकिपीडिया की मदद करें।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (Prohibition of Child marriage Act 2006) **भारत** का एक **अधिनियम** है जो ०१ नवम्बर २००७ से लागू हुआ।



इस अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की उम्र **२१ वर्ष** से कम या लड़की की उम्र **१८ वर्ष** से कम हो। ऐसे **विवाह** को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६ की धारा ९ के अनुसार १८ से २१ वर्ष की आयु के पुरुष को किसी वयस्क महिला से विवाह करने पर उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है।

इन्हें भी देखें

- बाल विवाह

बाहरी कड़ियाँ

- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (<https://web.archive.org/web/20151003212846/http://indiacode.nic.in/rspaging.asp?tfnm=200706>) (अंग्रेजी में)
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006** के बारे में जानकारी (https://web.archive.org/web/20160305052752/http://hi.vikaspedia.in/social-welfare/90591594d938930-92a94291b947-91c93e928947-93593e932947-92a94d93093694d928/copy14_of_.pdf) (विकासपीडिया)
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी (https://web.archive.org/web/20160306235906/http://accessofjustics.blogspot.in/2013/08/2006_7.html)

"https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=भारत_में_बाल_विवाह&oldid=5255351" से लिया गया

Last edited 3 months ago by Dharmadhyaksha

विकिपीडिया

सामग्री CC BY-SA 3.0 के अधीन है जब तक अलग से उल्लेख ना किया गया हो।